रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28052025-263448
CG-DL-E-28052025-263448

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 303] नई दिल्ली, बुधवार, मई 28, 2025/ज्येष्ठ 7, 1947
No. 303] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 28, 2025/JYAISTHA 7, 1947

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, 2025

सा.का.नि. 346(अ).— अंतर्देशीय जलयान (यात्री और कर्मीदल सुविधा) (पहला संशोधन) नियम, 2024 का प्रारूप, अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का 24) की धारा 106 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 5 दिसम्बर, 2024 में भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 752(अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2024 द्वारा उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, ऐसी तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्वलित करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करवाई गई थीं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए, प्रकाशित किया गया था ;

और, उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को तारीख 5 दिसम्बर, 2024 को उपलब्ध करवायी गई थीं ;

और, केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनसाधारण से कोई भी आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं किए गए थे।

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का 24) की धारा 106 की उपधारा (2) के खंड (यफ) और (ययक) के साथ पठित धारा 7 की उपधारा (1) और धारा 80 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतर्देशीय जलयान (यात्री और कर्मीदल सुविधा) नियम, 2022 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अंतर्देशीय जलयान (यात्री और कर्मीदल सुविधा) संशोधन नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. अंतर्देशीय जलयान (यात्री और कर्मीदल सुविधा) नियम, 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में नियम 2 के उपनियम (1) में खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"स्पष्टीकरण.- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, 24 मीटर या उससे ऊपर के जलयानों के सकल टनभार की संगणना पोत टनभार माप पर अंतर्राष्ट्रीय कंवेन्शन, 1969 के अनुसार की जाएगी, जबकि 24 मीटर से कम जलयानों के सकल टनभार की संगणना समय-समय पर हुए संशोधनों के अनुसार, पोत परिवहन (पोत टनभार माप) नियम, 1987 के नियम 3 के अनुसार की जाएगी।"।

3. उक्त नियमों के नियम 20 के उपनियम (1) में, "0.60" अंकों के स्थान पर, "0.36" अंक रखे जाएंगे।

4. उक्त नियमों के नियम 23 के उपनियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(3) अंतर्देशीय जलयान (डिजाइन और निर्माण), नियम 2024 में दी गई स्थिरता संबंधी अपेक्षाओं के अनुसरण में 15 मिनट से अधिक और 60 मिनट तक की यात्राओं पर चलने वाले अंतर्देशीय जलयानों में 50 प्रतिशत यात्रियों के लिए बैठने का उपबंध किया जाता है, परंतु गति और समस्त सामान्य प्रचालन में त्वरण, खड़े होने में कठिनाई उत्पन्न नहीं करेगा।"।

5. उक्त नियमों के नियम 24 में,-

(क) उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(1) न्यूनतम 750 मिलीमीटर की चौड़ाई प्रदान किए जाने के साथ अभिगमन, एकत्रण, गलियारा अभिगमन तथा निकास के लिए उपयुक्त स्पष्ट स्थान अनुज्ञात किया जाएगा ।";

(ख) उपनियम (4) में, "1600" अंकों के स्थान पर, "1300" अंक रखे जाएंगे;

(ग) उपनियम (5) में,-

(i) "680" अंकों के स्थान पर, "650" अंक रखे जाएंगे;

(ii) "310" अंकों के स्थान पर, "230" अंक रखे जाएंगे;

(घ) उपनियम (6) में, "620" अंकों के स्थान पर, "480" अंक रखे जाएंगे;

6. उक्त नियमों के नियम 26 के उपनियम 6 में,-

(क) "केंद्रीयकृत प्रकार की हो या वैयक्तिक यूनिट प्रकार की" शब्दों के स्थान पर, "केंद्रीयकृत प्रकार की" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (ख) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह कि 300 सकल टनभार से कम के प्रवर्ग अ जलयानों को, मामले दर मामले के आधार पर, अभिहित प्राधिकारी द्वारा उपरोक्त अपेक्षाओं से छूट प्रदान की जा सकेगी।"।

7. उक्त नियमों के नियम 31 के उपनियम (4) में, "30" अंकों के स्थान पर, "60" अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. आईडब्ल्यूटी-11011/91/2021- आईडब्ल्यूटी(5)]

पी के रॉय, संयुक्त सचिव (आईडब्ल्यूटी-II)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में, तारीख 7 जून, 2022 को अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 423(अ), तारीख 7 जून, 2022 द्वारा प्रकाशित प्रकाशित हुए थे।

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th May, 2025

G.S.R. 346(E).—Whereas draft of the Inland Vessels (Crew and Passenger Accommodation) (First Amendment) Rules, 2024 were published, as required under sub-section (1) of section 106 of the Inland Vessels Act, 2021 (24 of 2021), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways number G.S.R. 752 (E) dated the 5th December, 2024, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 5th December, 2024, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the said notification were made available to the public on 5th December, 2024;

And whereas no objections and suggestions were received from the public in respect of the said draft rules by the Central government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-sections (1) of section 7 and section 80 read with clauses (zv) and (zza) of sub-section (2) of section 106 of the Inland Vessels Act, 2021 (24 of 2021), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Inland Vessels (Crew and Passenger Accommodation) Rules, 2022 , namely. –

1. (1) These rules may be called as the Inland Vessels (Crew and Passenger Accommodation) Amendment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Inland Vessels (Crew and Passenger Accommodation) Rules, 2022 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, in sub-rule (1), after clause (c), the following explanation shall be inserted, namely: –

"Explanation.– For the purposes of this clause, Gross Tonnage of vessels of 24 meters or above shall be calculated according to International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969, whereas Gross Tonnage of vessels less than 24 meters shall be calculated according to rule 3 of the Merchant Shipping (Tonnage Measurement of Ships) Rules, 1987, as amended from time to time.".

3. In sub-rule (1) of rule 20 of the said rules, for the figures "0.60", the figures "0.36" shall be substituted.

4. For sub-rule (3) of rule 23 of the said rules, the following sub-rule shall be substituted, namely:–

"(3) Inland vessels operating on voyages of more than 15 minutes and upto 60 minutes to provide seating for 50 per cent. of passengers, in accordance with the stability requirements given in the Inland Vessels (Design and Construction Rules), 2024, provided the motions and accelerations in all normal operation would not make standing difficult.".

5. In rule 24 of the said rules,–

(a) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely. –

"(1) Suitable clear space shall be allowed for access, assembly, corridor access and escape with a minimum width of 750 millimeters being provided.";

(b) in sub-rule (4), for the figures "1600", the figures "1300" shall be substituted;

(c) in sub-rule (5),–

(i) for the figures "680", the figures "650" shall be substituted;

(ii) for the figures "310", the figures "230" shall be substituted;

(d) in sub-rule (6), for the figures "620", the figures "480" shall be substituted;

6. In sub-rule (6) of rule 26 of the said rules,–

(a) for the words "centralized type or individual unit type", the words "centralised type" shall be substituted;

(b) in clause (b), the following proviso shall be inserted, namely: –

"Provided that an exemption from the above requirement may be given, on a case-to-case basis by the Designated Authority to Category A vessels of less than 300 gross tonnage.".

7. In sub-rule (4) of rule 31 of the said rules, for the figures "30", the figures "60" shall be substituted.

[F. No. IWT-11011/91/2021-IWT(5)]

P. K. ROY, Jt. Secy. (IWT-II)

Note: The prinicipal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 7th June, 2022, *vide* notification number G.S.R. 423(E), dated the 7th June, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.05.28 22:26:22 +05'30'